न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन्, जिला चित्तौड़गढ़

<u>पीठासीन अधिकारी– राजीव बडगूजर (आर.ए.एस.)</u>

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
27 / 2024	08.02.2024	28.05.2024

अनवान

1. पन्ना पुत्र हजारी जाति जाट आयु वयस्क निवासी मोतीखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. जेती पुत्र हजारी जाति जाट आयु वयस्क निवासी मोतीखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ हाल केसरखेडी तहसील कपासन।
3. रतन लाल पुत्र मोहन जाति जाट आयु वयस्क निवासी मोतीखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. सीमा पत्नि पृथ्वीराज जाति जाट आयु वयस्क निवासी चतरभुजपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. जीतु पिता प्रताप जाति जाट आयु वयस्क निवासी मोतीखेडा मृत्तक के बजाय वारीसान–
   5/1– नाथू पिता जीतु जाति जाट आयु वयस्क निवासी मोतीखेडा तहसील कपासन।
   5/2– नारायण पुत्र भैरू जाति जाट आयु वयस्क निवासी मोतीखेडा तहसील कपासन।
   5/3– मेहता पत्नी भैरू जाति जाट आयु वयस्क निवासी मोतीखेडा तहसील कपासन।

प्रार्थीगण

बनाम

1. बबलु पिता सत्यनारायण ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी हिंगोरिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. शंकर लाल पिता बंशीलाल ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी हिंगोरिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. बोतु पिता हांसु जाति जाट आयु वयस्क निवासी मोतीखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. कन्हैयालाल पिता रामनाथ ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी हिंगोरिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. रामेश्वर पिता रामनाथ ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी हिंगोरिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. राम लाल पिता मांगु कुमावत आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. मोडा लाल पिता सोहन कुमावत आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
8. बंशी लाल पिता मांगु कुमावत आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
9. माधु तेली पिता जयचन्द तेली आयु वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
10. उदयराम पिता मिठू जाट आयु वयस्क निवासी मोतीखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
11. उदयराम पिता छोगा बैरवा आयु वयस्क निवासी मोतीखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.04 11:45:10 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री किशनलाल जाट — प्रार्थीगण
एक तरफा — अप्रार्थीगण

<u>—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम::—</u>

<u>—:: निर्णय ::—</u>

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा हिंगोरिया पटवार हल्का हिंगोरिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074—2077 के खाता संख्या 588 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1051, 1052, 1053, 1054, 1072, 1073, 1074 कुल किता 07 कुल रकबा 2.97 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा—चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 28.05.2024 को अप्रार्थीगण के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर—बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को पत्थरगढी कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा हिंगोरिया पटवार हल्का हिंगोरिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074—2077 के खाता संख्या 588 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1051, 1052, 1053, 1054, 1072, 1073, 1074 कुल किता 07 कुल रकबा 2.97 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर पत्थरगढी किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/— रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 28.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.09.04 11:45:10 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजीव बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन